सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
माघ 26, गुरूवार, *शाके* 1945-फरवरी 15, 2024 *Magha 26 Thursday , Saka 1945- February 15 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, दिसम्बर 18, 2023

संख्या प. 2(11)वन/2023 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी अंश को स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर-भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29, उप-धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं,

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार पर वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहूंचाने की आशंका है,

इसलिये अब राजस्थान फोरस्ट एक्ट, 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर, असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रावहित है,

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Provision) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा,

और सरकार उक्त उक्त की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि

अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,
विशिष्ठ शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र.सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण
1	श्यामनगर	नीमकाथाना	सीकर	पूर्व -ग्राम श्यामनगर की राजकीय भूमि पश्चिम-ग्राम श्यामनगर की राजकीय भूमि उत्तर- ग्राम श्यामनगर की राजकीय भूमि दक्षिण- ग्राम श्यामनगर की राजकीय भूमि	**ग्राम श्यामनगर** **ख.नं.** 243/1 **रकबा** 6.35 **है**0 कुल **6.35** है**0**

वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां,
उप वन संरक्षक,
सीकर।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
नीमकाथाना

द्वितीय अनुसूची

पेडो की सूची

क्र. सं.	बोटनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Acacia Tortlis	विलायती बबूल
2	Acacia leucophloea	रौंझ

वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां,
उप वन संरक्षक,
सीकर।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
नीमकाथाना

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक, द्वारा प्रमाण पत्र

(जो लागू नही होता है उसे काट दे)

वन खण्ड - श्यामनगर

रेन्ज - नीमकाथाना

वन मण्डल - सीकर

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण डाईवर्जन प्रकरणों में गैर वन भूमि मिलने के कारण है। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में बिना नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य कराया गया है कराना है। इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है। क्षैत्र को आरक्षित/रक्षित वन घोषित करने के लिए जिला कलक्टर, से सहमति प्राप्त कर ली गई है, तथा प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
3. वर्तमान में कुछ क्षैत्रों में क्रमशः Nil प्लांटेशन एवं अन्य विकास कार्य वर्ष छपस से छपस में कराये गये है। इनमें कोई खनन कार्य नहीं हुए है। भविष्य में अन्य क्षैत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।
4. भूमि पर वृक्षों का घनत्व कुछ क्षेत्रों में 0.1 प्रतिषत है तथा कुछ क्षैत्रों में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियों रोंझ, टोर्टलिस का लगभग प्रतिषत 5 प्रतिशत क्रमशः है तथा कुछ क्षैत्रों में घनत्व नगण्य है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र खातेदारी भूमि (राजस्व बंजर/चारागाह/खातेदारी/वन) है, तथा चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम सं. 5 में कर दिया गया है।
6. वनखण्डो के वांछित मानचित्र (नक्शें) संलग्न है, एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षैत्रों की सीमा को नक्शें में लाल स्याही से इंगित किया गया है।
7. प्रस्तावित वनों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कई कारण रहे है, किन्तु अब उल्लेखित वनक्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिसमें कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सकें।
8. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।

वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां,
उप वन संरक्षक,
सीकर।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
नीमकाथाना

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।